केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक सीबीएसई/सीई/पीएस/समन्वय/2023 दिनांक:24.07.2023

सभी प्रधानाचार्यगण
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय

विषय: OASIS में अद्यतनीकरण और अनुमत्य सेक्शनों का विवरण भरा जाना

महोदय/महोदया,

इस वर्ष बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के भूमि क्षेत्र में वृद्धि/कमी के लिए SARAS पर एक नई श्रेणी का लिंक प्रारंभ किया है। यह बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि इस श्रेणी में आवेदन करते समय और भूमि क्षेत्र परिवर्तन के साथ/के बिना सेक्शनों के अद्यतनीकरण की मांग करते समय, स्कूलों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था :-

1. IX-XII कक्षाओं में शून्य सेक्शन प्रदर्शित होना (उन्नयन की मंजूरी के बाद)
2. सेक्शन वृद्धि की अनुमति प्राप्त हुई, तथापि, OASIS में सेक्शनों को अद्यतन करने में असमर्थता
3. नई संबद्धता/उन्नयन प्रदान किया गया, तथापि, OASIS में सेक्शन को अद्यतन करने में असमर्थता
4. उपलब्ध भूमि क्षेत्र के संबंध में सेक्शन को अद्यतन करने में असमर्थता।
5. सेक्शनों को अद्यतन करने में असमर्थता
6. OASIS डेटा संपादित किया गया, लेकिन सहेजा नहीं जा रहा
7. दो कक्षाओं के बीच अनुमत्य सीमाओं के भीतर सेक्शनों को परस्पर बदलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए
8. स्कूल डबल शिफ्ट में छात्रों का विवरण नहीं भर पा रहे हैं
9. कई स्कूलों को संबद्धता अनुदान पत्रों/उन्नयन पत्रों में, सेक्शन बढ़ाने की अनुमति दी गई है और उन्हें SARAS 3.0 में सेक्शन बढ़ाने की मंजूरी मिली है (लेकिन कोविड के कारण कम सेक्शन चला रहे थे)। अब वे सेक्शन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन OASIS को अद्यतन नहीं कर पा रहे हैं।
10. प्रति सेक्शन 40 से अधिक छात्र नहीं कर पाने की असमर्थता जबकि, स्कूलों में प्रति सेक्शन 45 छात्र तक हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि प्रणाली को और अधिक सुप्रवाही/सुव्यवस्थित कर दिया गया है और अब स्कूल OASIS में डेटा को सही/अद्यतन कर सकते हैं। यदि स्कूल सेक्शनों की संख्या बढ़ाना चाहता है तो वह SARAS पोर्टल (सीबीएसई संबद्धता इकाई) पर जा सकता है और सेक्शन वृद्धि श्रेणी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार, यदि OASIS में उल्लिखित भूमि क्षेत्र गलत है, तो स्कूल SARAS पोर्टल में भूमि वृद्धि/कमी/सुधार श्रेणी में भूमि क्षेत्र में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, स्कूल OASIS में संगत स्तम्भ को अद्यतन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि स्कूल कम सेक्शन चला रहे हैं (मंजूरी पत्र/उन्नयन पत्र, जैसा भी मामला हो, में जारी पत्र में अधिक सेक्शन दिए गए हैं), ऐसी स्थिति में भी स्कूलों को सेक्शन बढ़ोतरी के लिए SARAS पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि प्रति सेक्शन प्रवेश 40 छात्रों तक सीमित होगा, जैसा कि संबद्धता उपविधि में उल्लिखित है। यह सीमा केवल दसवीं और बारहवीं कक्षा में सीधे प्रवेश के मामलों में 45 तक बढ़ाई जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:-

1. सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के 45 तक विद्यार्थियों को सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
2. सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे प्रवेश की सीमा प्रति सेक्शन 45 विद्यार्थियों तक सीमित होनी चाहिए।

स्कूलों को सेक्शन/भूमि क्षेत्र में परिवर्तन 31.07.2023 तक पूरा करना होगा।

आगे अवगत किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सीधे प्रवेश ऑनलाइन किया जाएगा। विवरण शीघ्र ही सूचित किया जाएगा.

कृपया तत्काल कार्रवाई और अनुपालन किया जाए।

हस्ता./-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष ,केमाशिबो के उप सचिव - अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ
2. परीक्षा नियंत्रक, केमाशिबो के वरिष्ठ पीपीएस
3. निदेशक आईटी, केमाशिबो के पीपीएस
4. आईएएफए केमाशिबो
5. क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी ताकि सीधे प्रवेश की अनुमति देते समय, ऊपर उल्लिखित स्कूल की सेक्शन संख्या को ध्यान में रखा जा सके।
6. वेब प्रबंधक को इसे सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ